न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/158
दायरा तिथि : 04.05.2022
आदेश तिथि : 10-12-2024

प्रार्थी :–

1. श्री जसवंतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति चारण, निवासी रियाबाडी, नागौर (राज)
2. सुमित कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी मोहनवाटिका, फतेहपुर जिला सीकर (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 10-12-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3446 रकबा 0.8500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3450 रकबा 3.34 हैक्टर तथा खसरा नंबर 3448 रकबा 00.5500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/4075 दिनांक 20.02.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक ने पूर्व में राजकीय सिवायचक खसरा नं 3450 रकबा 3.34 हैक्टर भूमि में से रास्ता चाहा था लेकिन इनके पास के खातेदार ने अपनी इच्छा से ही खसरा नं 3447 रकबा 0.60 हैक्टर में से 0.1220 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु राज्य सरकार को सुमित कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी मोहन वाटिका फतेहपुर सीकर ने रास्ते हेतु समर्पण कर दिया।
2. यह है कि आवेदक को खसरा नंबर 3447 में से रास्ता समर्पण के रूप में मिल चुका है तथा खसरा नंबर 3448 रकबा 0.55 हैक्टर की भूमि में से नक्शें में लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। तथा इसी अनुरूप ही आवेदक/प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग अपने खसरा नंबर 3446 रकबा 0.85 हैक्टर में आवागमन हेतु किया जाता है।
3. यह है कि आवेदक को अपने खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3446 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई अन्य विकल्प नही है।
4. यह है कि ग्राम भन्दर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	3448	0.5500 हैक्टर	बा.दो.	78X9=710 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

5. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक नाना की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित प्रस्तावित रास्तो के खसरो की डी.एल.सी. दर 287375 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/158
अनवान जसवंतसिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार; बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3446 रकबा 0.8500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/4075 दिनांक 20.02.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3446 रकवा 0.8500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3448 रकबा 0.5500 हैक्टर में से **702 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 287375 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि.	नाम खातेदार
3448	0.5500 हैक्टर	78X09=702 वर्गमीटर	29	20358×2==40716	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 40716/– (अक्षरे चालीस हजार सात सौ सोलह रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 10/12/2024

क्रमॉक/कोर्ट/2024/2441-2445
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, भंदर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री जसवंतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति चारण, निवासी रियाबडी, नागौर (राज) वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 28/01/2023 02:16:40 PM

जिला : पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : नाना

पटवारी हल्का : भन्दर

ग्राम : भन्दर

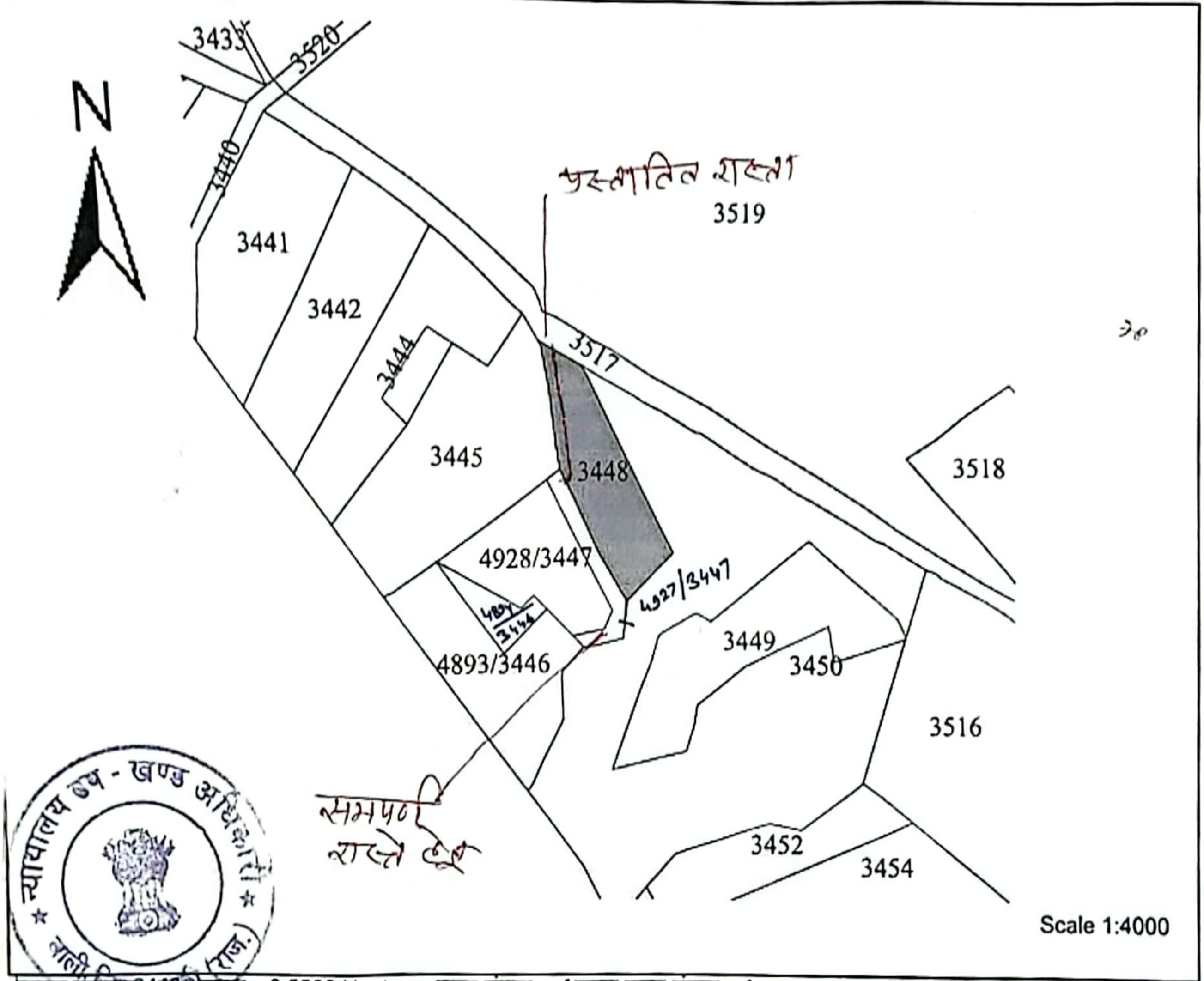

खसरा संख्या: 3448 क्षेत्रफल : 0.5500 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोयम [0.5500]

ULPIN no : null

Ex-Court.

तहसीलदार,बाली

श्रवण कुमार
भू. अ. निरीक्षक नाना
तहसील - बाली (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली